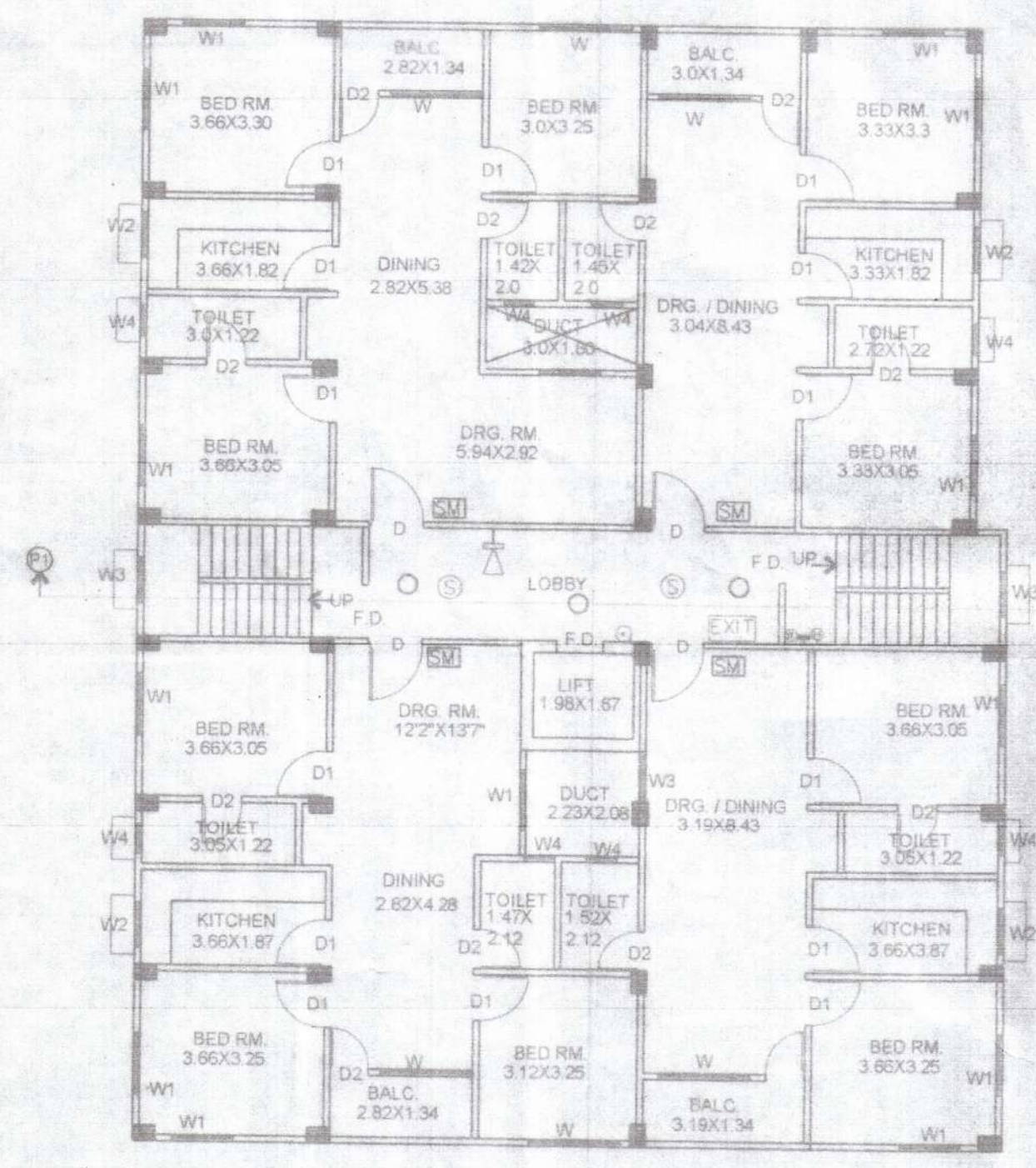
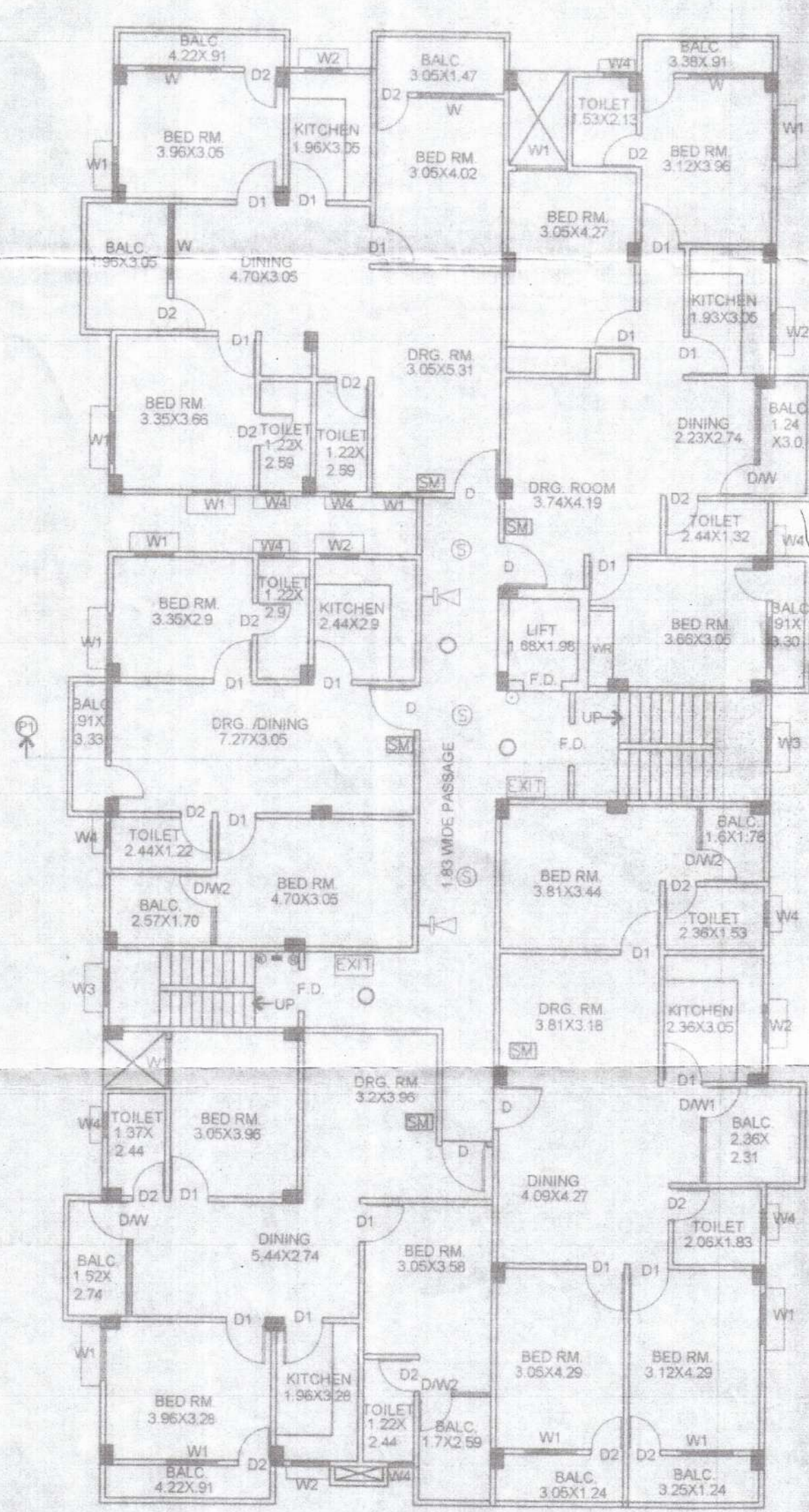
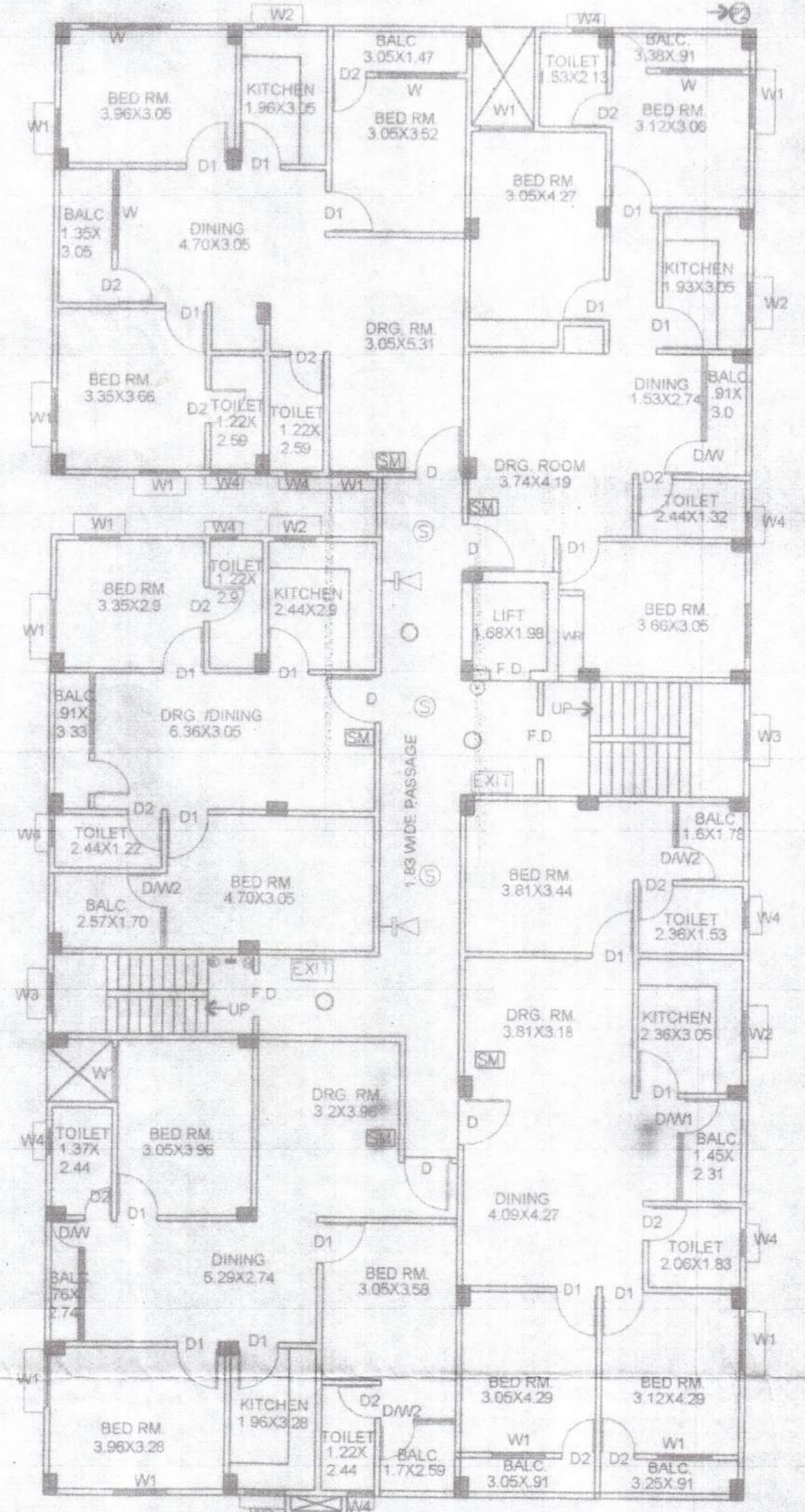




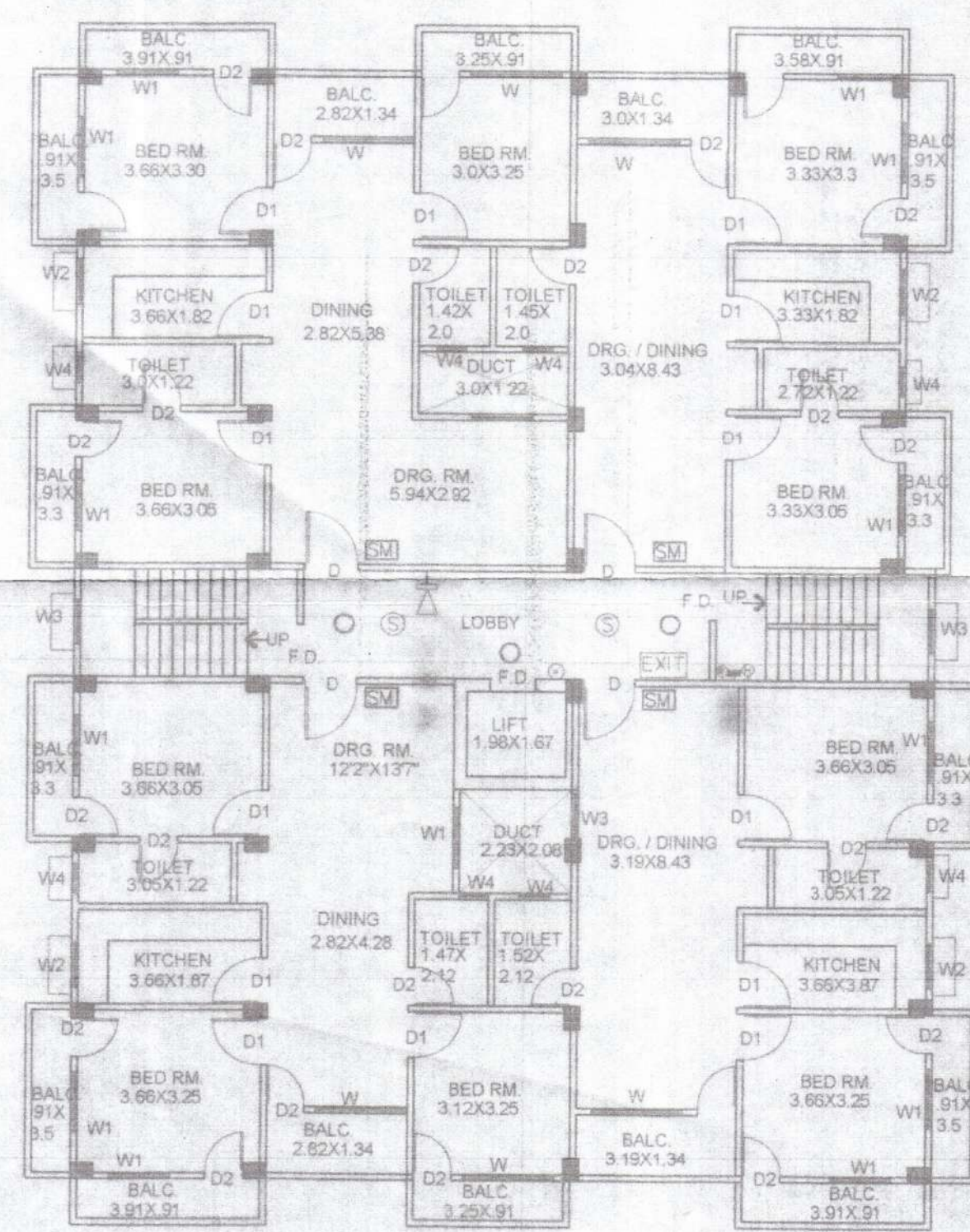
1ST. FLOOR PLAN
BLOCK - B



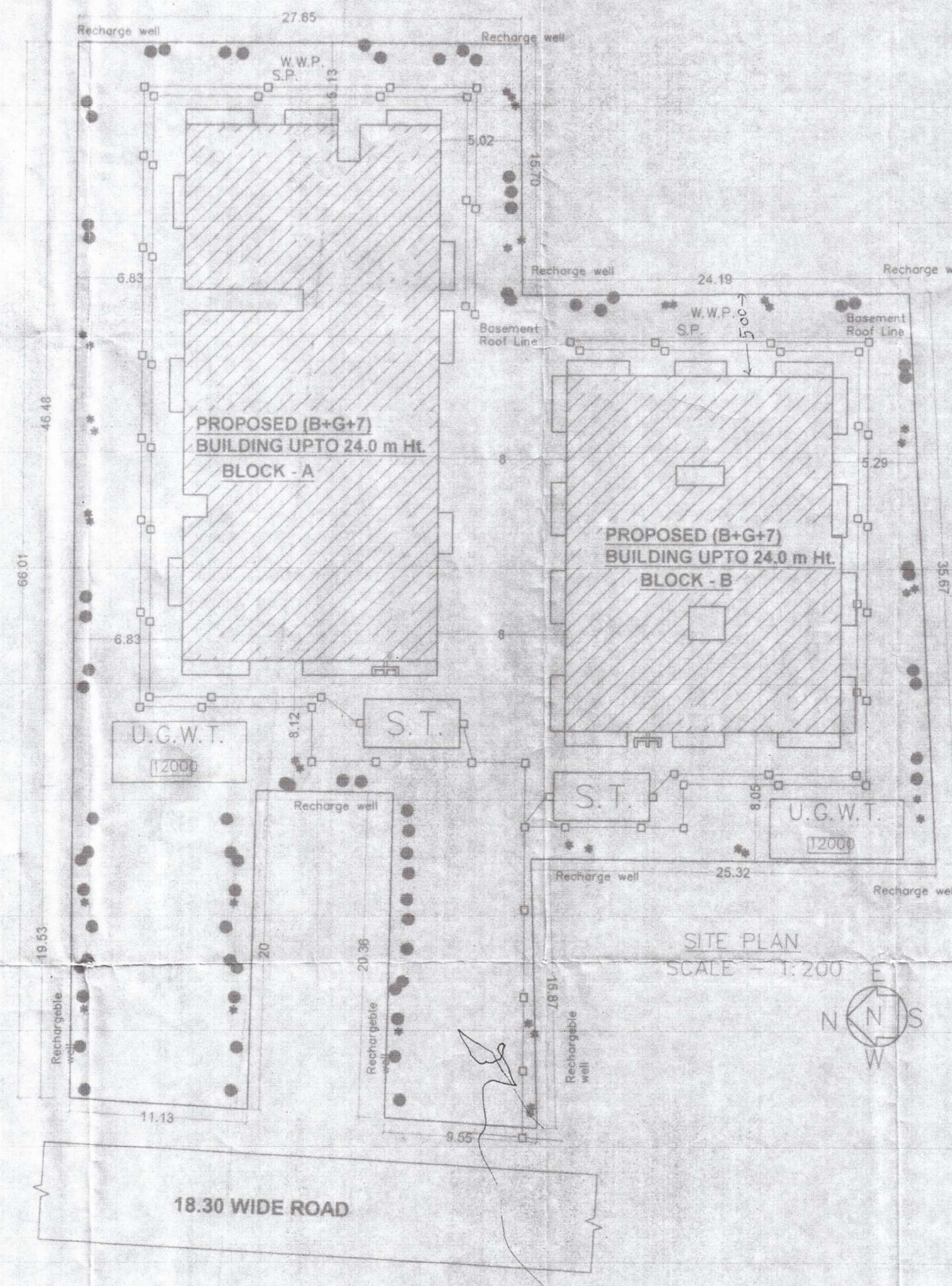
2ND, 3RD, 4TH, 5TH, 6TH & 7TH FLOOR PLAN
BLOCK - A



1ST. FLOOR PLAN
BLOCK - A



2ND, 3RD, 4TH, 5TH, 6TH & 7TH FLOOR PLAN
BLOCK - B



SITE PLAN
SCALE - 1:200

AREA CALCULATION		
PLOT AREA		2581.126 SQ. M.
BLOCK - A		
B. U. AREA OF BASEMENT FLOOR PLAN		19.88 SQ.M.
B. U. AREA OF GROUND FLOOR PLAN		38.98 SQ.M.
B. U. AREA OF 1ST. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
B. U. AREA OF 2ND. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 2ND. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
B. U. AREA OF 3RD. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 3RD. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
B. U. AREA OF 4TH. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 4TH. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
B. U. AREA OF 5TH. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 5TH. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
B. U. AREA OF 6TH. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 6TH. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
B. U. AREA OF 7TH. FLOOR PLAN		508.34 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 7TH. FL. BAL. PROJ.		18.9 SQ.M.
TOTAL		3796.92 SQ. M.
BLOCK - B		
B. U. AREA OF BASEMENT FLOOR PLAN		16.98 SQ.M.
B. U. AREA OF GROUND FLOOR PLAN		21.42 SQ.M.
B. U. AREA OF 1ST. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
B. U. AREA OF 2ND. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 2ND. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
B. U. AREA OF 3RD. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 3RD. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
B. U. AREA OF 4TH. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 4TH. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
B. U. AREA OF 5TH. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 5TH. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
B. U. AREA OF 6TH. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 6TH. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
B. U. AREA OF 7TH. FLOOR PLAN		369.75 SQ.M.
50% B. U. AREA OF 7TH. FL. BAL. PROJ.		22.41 SQ.M.
TOTAL		2761.11 SQ. M.

BLOCK - A+B = 3796.92 + 2761.11 = 6558.03 SQ.M.
F.A.R. = 2.50 (PROVIDED)

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF
M/S. GHARONDA RESIDENCY PVT. LTD.
DIRECTOR SRI. PANKAJ KUMAR SINGH,
S/o. SRI. VIJAY KUMAR SINGH SITUATED AT
MOUZA - JAMSAUT, KHATA NO.- 68 & 137,
KHESRA NO.- 2123, 2124 & 2129, THANA NO.- 30,
THANA - DANAPUR, DIST. PATNA.

SCALE - 1:100 & 1:200
DATE - 03.10.2019

For GHARONDA RESIDENCY (P) LTD.
Managing Director
RUPAK KUMAR
Registered Architect
Enrollment No.-44/Arch/2015/NPDN
Danapur Nagar Parishad
SIG. OF OWNER
SIG. OF ARCHITECT
Satyendra Pal Singh
Sr. Satyendra Pal Singh
Structural Engineer
Enrollment No.-14/STR/18-NPDN
Danapur Nagar Parishad
SIG. OF SITE ENGINEER

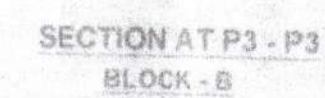
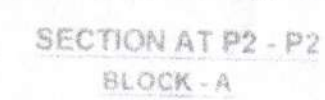
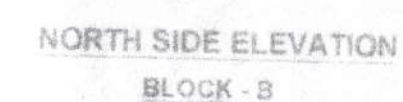
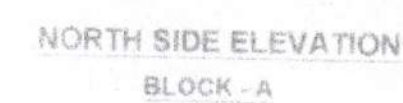
ASTHANU GHARONDA JV
Partner

26/21-22
Nagar Parishad Danapur Nizammat

विभागाध्यक्ष (निर्माण और विकास)
नियमन 2017 (NEMA) को तालिका में दर्ज
होने के लिए आवश्यक है।
यदि आवश्यक हो तो निर्माण के लिए आवश्यक है।

Building Plan No. 26/21-22.
निर्माण के लिए आवश्यक है।
यदि आवश्यक हो तो निर्माण के लिए आवश्यक है।
यदि आवश्यक हो तो निर्माण के लिए आवश्यक है।

26/21-22
Nagar Parishad Danapur Nizammat



ASTHANU GHARONDA JV
Meloy Kumar
 PARTNER

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आवेदन संख्या- 192 तिथि- 21.02.2020 के संदर्भ में

मेसर्स धरौंदा रेसिडेन्सी प्रा0 लि0, डाइरेक्टर-श्री पंकज कुमार सिंह, पिता-श्री विजय कुमार सिंह, पता-स्वदेश टॉवर, ग्राउंड फ्लोर, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .192. प्लॉट नं0- 2123 एवं 2129, खाता नं0- 68 एवं 137, तौजी नं0-, थाना नं0- 30, मौजा- जमसौत, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-....26..../21-22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल Block A-3706.62 m² & Block- 2761.11 m², Total B/u Area (Block A+B)=6467.73 m² वर्ग मीटर एवं B+G+7 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1692.25 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.29 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

ASTHANU GHARONDA JV
Ashwaj Kumar
PARTNER

- (स) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ज) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किया जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्ड फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।
- (ध) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ज्ञापांक:- ...26...../दिनांक:- ...19/06/2021

प्रतिलिपि:- मेसर्स घरौंदा रेसिडेन्सी प्रा0 लि0, डाइरेक्टर-श्री पंकज कुमार सिंह, पिता-श्री विजय कुमार सिंह
पता-स्वदेश टॉवर, ग्राउंड फ्लोर, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ASTHANU GHARONDA JV
PARTNER

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत